अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा बालाजीनगर में खाता संख्या 139 व 105 के खसरा नम्बर 643/629 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417 रकबा 3.8850 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 644/629 रकबा 0.9146 हैक्टेयर में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। **मौजा बालाजीनगर में खाता संख्या 139 व 105 के खसरा नम्बर 643/629 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417 रकबा 3.8850 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 644/629 रकबा 0.9146 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम लालाराम पुत्र लच्छाराम हिस्सा पूर्ण के स्थान पर लालू राम पुत्र लच्छा राम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार दुरूस्त** किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29/07/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

पृष्ठ 1